ः कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ::

प्रारूप -6

(नियम 78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)

-: सेवानिवृत्ति आदेश :--

राजस्थान शिक्षा सेवा के प्रधानाचार्य—उमावि एवं समकक्ष के निम्नांकित शिक्षा अधिकारीं को, सेवा—नियम 1951 के उप नियम—56 एवं वित्त विभाग के परिपत्र क्रमाक : एफ.1(6) एफडी / नियम / 98 दिनांक 28—12—1998, प.1 (6) वित्त / नियम / 98 दिनांक 24—05—2004 एवं प.12(6) वित्त / नियम / 20087 जयपुर दिनांक 24—03—2015 के द्वारा संशोधित नियमों के तहत, उनके / सम्बन्धित कार्मिक द्वारा (60 वर्ष की) अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर, संलग्न सूची में उनके नाम के सामने अंकित (कॉलम संख्या—6 में अंकितानुसार) सेवानिवृत्ति—तिथि से, सरकारी—सेवा से अपरान्ह सेवानिवृत्त किया जाता है।

उक्त उल्लिखित प्रधानाचार्य-उमावि एवं समकक्ष के सम्बन्ध में प्रमाणित किया जाता है कि, इनके विरूद्ध आज दिनांक तक –

- 01. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम—16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 02. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम—19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लिम्बत नहीं है।
- 03. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन / लम्बित नहीं है।

संलग्न:- सूची 01 से 39

(काना राम)

अाई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

दिनांक : 41 / 02/2022

क्रंमाकः:शिविरा—मा/संस्था/बी—2/45001/सेवानिवृत्तियां—प्रधानाचार्य/2022/3—43 प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ <mark>एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है</mark> :—

01. सम्बन्धित संयुंक्त निदेशक<mark>, स्कूल शिक्षा, संभाग मुख्यालय।</mark>

सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा।

- 03. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी—माध्यमिक शिक्षा मुख्यालय/ संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/ नियन्त्रण अधिकारी को प्रेषित कर पावन्द किया जाता है कि संलग्न सूची में उल्लेखित सेवानिवृत्त होने वाले प्रधानाचार्य—उमावि एवं समकक्ष अधिकारियों से प्रारूप—6 के आशय का शपथ—पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर ही, आगामी कार्यवाही अमल में लावे। इस हेतु आप व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें। यदि स्थानान्तरण या अन्य कारण से सेवानिवृत अधिकारी का वर्तमान पदस्थापन स्थान परिवर्तित हो गया हो तो नवीन पदस्थापन स्थान के अनुरूप ही कार्यवाही सुनिश्चित करावें। इस हेतु आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेंगें।
- 04. सम्बधित अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग।

05. सिस्टम एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (सयुंक्त निदेशक) कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालया हाजा को आदेश की प्रति सहित, विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।

06. सम्बधित संस्था प्रधान / सम्बधित कार्मिक को पालनार्थ।

07. रक्षित / निजी पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

:: कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ::

शिविरा—मा / संस्था / बी - 2 / 45001 / सेवानिवृत्तियां - प्रधानाचार्य / 22 - 23 / 2022 / 3 - 43

विनांक 21 /04/2022

Sr.	1 - 11/ (((41/41/41/2	/ 45001 / सवाानवृक्तियाःप्रधानायाय / 22-23 / 2022 / 3		Date of Birth	Date of
No.	Name	Name of the Office	District Name	V	Retirement
1	1,		IV	V	VI
1	VIKRAM SINGH SISODIYA	Office of the District Institute for Education and Training, District-PRATAPGARH (RAJ.)	PRATAPGARH	09-05-1962	31-05-2022
2	CHANDRA KALA CHOUDHARY	Office of Chief Block Education Officer, Block- CHIRAWA, District- JHUNJHUNUN	иииинциинц	20-05-1962	31-05-2022
3	KAILASH PRASAD GUPTA	Office of Chief Block Education Officer, Block- MAHUWA, District-DAUSA	DAUSA	25-05-1962	31-05-2022
4	HIMMAT SINGH	Institute of Advanced Studies In Education, Ajmer	AJMER	12-06-1962	30-06-2022
5	USHA KUMARI	Office of the District Institute for Education and Training, District- HANUMANGARH	HANUMANGARH	15-06-1962	30-06-2022
1	VISHNU DATT SHARMA	Office of Chief Block Education Officer, Block- SAHADA, District- BHILWARA	BHILWARA	01-07-1962	30-06-2022
	RAM NIWAS GHOTIA	Office of Chief Block Education Officer, Block- LADNUN, District- NAGAUR	NAGAUR	01-07-1962	30-06-2022
8	MADAN LAL	Office of the District Institute for Education and Training, District-SIKAR	SIKAR	04-07-1962	31-07-2022
1	ASHOK KUMAR TAILOR	Office of District Education Officer (Head quarters) Elementary Education, Kota	КОТА	07-07-1962	31-07-2022
10	JAI SINGH	Office of Chief Block Education Officer, Block- NAWALGARH, District-JHUNJHUNUN	ипипнии	07-07-1962	31-07-2022
	VINOD KUMAR GUPTA	Office of the District Institute for Education and Training, District- CHITTAURGARH	CHITTAURGARH	08-07-1962	31-07-2022
	RAM PRAKASH SHARMA	Office of th <mark>e District Institute</mark> for Education and Training, Mas <mark>uda, District- AJMER</mark>	AJMER	12-07-1962	31-07-2022
13	(AMLESH YADAV	Office of Joint Director, School Education, Ajmer Range, Ajmer	AJMER	19-07-1962	31-07-2022
- 1	ASHOK KUMAR SANADHYA	Office of the District Institute for Education and Training, Shahpura, District- BHILWARA	BHILWARA	03-08-1962	31-08-2022
15 N	MIAL ULMAN	Office of the District Institute for Education and Training, District- UDAIPUR	UDAIPUR	07-08-1962	31-08-2022
16 L	AKHAMI SINGH	K.PATAN, District- BUNDI	BUNDI	12-08-1962	31-08-2022
17 S	AVITA SHARMA	Office of the District Institute for Education and Training, Goner, District- JAIPUR	JAIPUR	15-08-1962	31-08-2022
18 R	AJNI NAGDA	Training, District- UDAIPUR	UDAIPUR	01-10-1962	30-09-2022
K		BAKANI, District- JHALAWAR	JHALAWAR	06-10-1962	31-10-2022
0 54		Office of Chief Block Education Officer, Block- BHAINSROADGARH, District- CHITTAURGARH	CHITTAURGARH	10-10-1962	31-10-2022
М	EENA	DAG, District- JHALAWAR	IHALAWAR	13-10-1962	31-10-2022
2 KA	T T	Office of the District Institute for Education and Training, Kuchamancity, District-NAGAUR	NAGAUR	15-10-1962	31-10-2022
3 M.	1	Office of Chief Block Education Officer, Block- ALSISAR, District- JHUNJHUNUN	NUNUHLNUH	25-10-1962	31-10-2022

ः कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ::

शिविरा–मा / संस्था / बी–2 / 45001 / सेवानिवृत्तियां–प्रधानाचार्य / 22–23 / 2022 / 3–43 दिनांक : 91 /92/2022

	Sr.	T,,	प्रमानभूतिया – प्रवासीयाय / 22 – 23 / 2022 / 3 – 43 । विनाक (प्र			
	No.	-	Name of the Office	District Name	Date of Birth	Date of Retirement
	1	11	111	IV	V	VI
		ANAND KUMAR BISHNOI	GHARASANA, District- GANGANAGAR	GANGANAGAR	24-11-1962	30-11-2022
		YOGESHWAR KUMAR SHARM		CHURU	01-12-1962	30-11-2022
-		BHOOP SINGH TIWARI	Office of District Education Officer (Head quarters) Secondary Education, Bikaner	BIKANER	01-01-1963	31-12-2022
-		SUDHIR TOMAR	Office of Joint Director, School Education, Jaipur Range, Jaipur	JAIPUR	01-01-1963	31-12-2022
-	Y	AGDISH PRASAD 'ADAV KHILESH	ATRU, District- BARAN	BARAN	05-01-1963	31-01-2023
	С	HANDRA RAI	Office of the District Institute for Education and Training, Kuchamancity, District- NAGAUR	NAGAUR	07-02-1963	28-02-2023
		HERU LAL SALVI	Office of Chief Block Education Officer, Block-BHINDER, District- UDAIPUR	UDAIPUR	12-02-1963	28-02-2023
		AKESH TYAGI	Office of Chief Block Education Officer, Block- RAISINGHNAGAR, District- GANGANAGAR	GANGANAGAR	15-02-1963	28-02-2023
3		JRESH CHAND	Office of Chief Block Education Officer, Block-ROOPWAS, District-BHARATPUR	BHARATPUR	15-02-1963	28-02-2023
33	AN	RNA RAM IKHIYA	Office of Chief Block Education Officer, Block- SINDHARI, District- BARMER	BARMER	15-02-1963	28-02-2023
34	SU	RGA SHANKAR THAR	Office of the District Institute for Education and Training, District-PRATAPGARH (RAJ.)	PRATAPGARH	05-03-1963	31-03-2023
35	TAN	IESH SINGH NWAR	Office of Chief Block Education Officer, Block- BAYANA, District- BHARATPUR	BHARATPUR	06-03-1963	31-03-2023
	PUR	OK KUMAR OHIT	PHALODI, District- JODHPUR	JODHPUR	15-03-1963	31-03-2023
		URNA PAREEK	Bikaner	BIKANER _.	20-03-1963	31-03-2023
38			SARADA, District- UDAIPUR	UDAIPUR	25-03-1963	31-03-2023
- 1	DINE: CHAV	SH KUMAR VDA	Institute of advanced studies In Education, Bikaner	BIKANER	26-03-1963	31-03-2023

नोट:- यदि किसी कार्मिक का वर्तमान पदस्थापन स्थान स्थानान्तरण अथवा अन्य कारण से परिवर्तित हो गया है तो संबंधित नियंत्रण अधिकारी नवीन पदस्थापन अनुरूप कार्यवाही करें।

(काना राम)

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

ः कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ःः

-ः सेवानिवृत्ति आदेश :--

राजस्थान शिक्षा सेवा के प्रधानाध्यापक—मावि एवं समकक्ष के निम्नांकित शिक्षा अधिकारीं को, सेवा—नियम 1951 के उप नियम—56 एवं वित्त विभाग के परिपन्न क्रंमाक : एफ.1(6) एफडी / नियम / 98 दिनांक 28—12—1998, प.1 (6) वित्त / नियम / 98 दिनांक 24—05—2004 एवं प.12(6) वित्त / नियम / 20087 जयपुर दिनांक 24—03—2015 के द्वारा संशाोधित नियमों के तहत, उनके / सम्बन्धित कार्मिक द्वारा (60 वर्ष की) अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर, निम्नानुसार प्रधानाध्यापक—मावि को (कॉलम संख्या—6 में अंकितानुसार) सेवानिवृत्ति—तिथि से, सरकारी—सेवा से अपरान्ह सेवानिवृत्त किया जाता है।

Name of Head	Posting Place	District	Date of	Date of
Master	_		Birth	Retirement
2	Aucation	4	5	6
JAI RAM MEENA (CCA-16)	GOVT SECONDÁRY SCHOOL NAKA MADAR, AJMER (221891)	AJMER	05-06-1962	30-06-2022
RAVI PRAKASH BHATT (CCA-16)	GOVT GIRLS SECONDARY SCHOOL JHADLA (217993)	DAUSA	02-07-1962	31-07-2022
OM PRAKASH KHATIK (CCA-16)	GOVT GIRLS SECONDARY SCHOOL DHANOP THE PHOOLIYA KALAN.	BHILWARA	15-02-1963	28-02-2023
	Master 2 JAI RAM MEENA (CCA-16) RAVI PRAKASH BHATT (CCA-16) OM PRAKASH KHATIK	Master 2 JAI RAM MEENA (CCA-16) RAVI PRAKASH BHATT (CCA-16) OM PRAKASH KHAEIK GOVT GIRLS SECONDARY SCHOOL JHADLA (217993) OM PRAKASH KHAEIK GOVT GIRLS SECONDARY SCHOOL	Master 2 JAI RAM MEENA (CCA-16) RAVI PRAKASH BHATT (CCA-16) OM PRAKASH KHATIK (CCA-16) OM PRAKASH KHATIK (CCA-16) OM PRAKASH KHATIK (CCA-16) DHANOP THE PHOOLIYA KALAN.	Master 2 JAI RAM MEENA (CCA-16) RAVI PRAKASH BHATT (CCA-16) OM PRAKASH KHATIK (CCA-16) OM PRAKASH KHATIK (CCA-16) OM PRAKASH KHATIK (CCA-16) DHANOP THE PHOOLIYA KALAN. DATE: DATE: DBatt of Birth 05-06-1962 05-06-1962 02-07-1962 02-07-1962

उक्त प्रधानाध्यापक-मावि एवं समकक्ष स्तर के अधिकारियों के प्रारूप-6 विचाराधीन प्रकरण

के निर्णयोपरांत पृथक से जारी किये जायेगें।

(काना राम)

अर्इ.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर फ्रांमाकः शिविरा–मा/संस्था/बी–1/45001/सेवानिवृत्तियां–प्र.अ/22–23/2022/2–3 दिनांकः 🗘 फरवरी 2022 प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रेषित है :—

01 सम्बन्धित सयुंक्त निर्देशक, स्कूल शिक्षा, संभाग मुख्यालय।

02 सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा।

03 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी-माध्यमिक शिक्षा मुख्यालय

04 संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी / नियन्त्रण अधिकारी

05 सम्बधित अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग।

06 सिस्टम एनॉलिस्ट कम प्रोग्रामॅर (सयुक्त निदेशक) कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को आदेश की प्रति सहित, विभागीय वैबसाईट पर अपलोड किये जाने हेत्।

07 सम्बंधित संस्था प्रधान / सम्बंधित कार्मिक को पालनार्थ।

08 रक्षित / निजी पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

ः कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेरः

-ः सेवानिवृत्ति आदेश :--

राजस्थान शिक्षा सेवा के प्रधानाचार्य—उमावि एवं समकक्ष के निम्नांकित शिक्षा अधिकारीं को, सेवा—नियम 1951 के उप नियम—56 एवं वित्त विभाग के परिपन्न क्रमाक : एफ.1(6) एफडी / नियम / 98 दिनांक 28—12—1998, प.1 (6) वित्त / नियम / 98 दिनांक 24—05—2004 एवं प.12(6) वित्त / नियम / 20087 जयपुर दिनांक 24—03—2015 के द्वारा संशाोधित नियमों के तहत, उनके / सम्बन्धित कार्मिक द्वारा (60 वर्ष की) अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर, निम्नानुसार प्रधानाचार्य—उमावि को (कॉलम संख्या—6 में अंकितानुसार)

सेवानिवृत्ति-तिथि से. सरकारी-सेवा से अपराहृ सेवानिवृत्त किया जाता है।

S. No.	Name	Posting Place	District	Date of Birth	Date of Retirement
1	2	3	4	5	6
1	GOPI RAM MAHLA (cca-16)	Office of Joint Director, School Education, Churu Range, Churu	CHURU	10-03-1963	31-03-2023
2	RAMVEER SINGH (cca-16)	Office of Chief Block Education Officer, Block- KHERABAD, District- KOTA	КОТА	01-10-1962	30-09-2022

उक्ते प्रधानाचार्य-उमावि एवं समकक्ष स्तर के अधिकारियों के प्रारूप-6 विचाराधीन प्रकरण के

निर्णयोपरांत पृथक से जारी किये जायेगे

(काना राम)

आई.ए.एस

िनदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक ः शिविरा—मा/संस्था/बी—1/45002/सेवानिवृत्तियां—प्रधानाचार्य/22—23/2022/4—2 दिनांक : 21 फरवरी 2022 प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

01 सम्बन्धित सयुंक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संभाग मुख्यालय।

02 सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा।

03 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी—माध्यमिक शिक्षा मुख्यालय

04 संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी / नियन्त्रण अधिकारी

05 सम्बंधित अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग।

06 सिस्टम एनॉलिस्ट कम प्रोग्रामर (सयुंक्त निदेशक) कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को आदेश की प्रति सहित, विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।

07 सम्बधित संस्था प्रधान / सम्बधित कार्मिक को पालनार्थ।

08 रक्षित / निजी पत्रावली।

स्र्युक्त निदेशक (कार्मिक)

ः कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ःः

प्रारूप -6

(नियम 78 के नीचे राजरथान सरकार का विनिश्चय देखिए)

-: सेवानिवृत्ति आदेश :--

राजस्थान शिक्षा सेवा के उप जिला शिक्षा अधिकारी-शा0शिक्षा शिक्षा अधिकारीं को, सेवा-नियम 1951 के उप नियम-56 एवं वित्त विभाग के परिपत्र क्रंमाक : एफ.1(6) एफडी / नियम / 98 दिनांक 28-12-1998, प.1 (6) वित्त / नियम / 98 दिनांक 24-05-2004 एवं प.12(6) वित्त / नियम / 20087 जयपुर दिनांक 24-03-2015 के द्वारा संशाोधित नियमों के तहत, उनके / सम्बन्धित कार्मिक द्वारा (60 वर्ष की) अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर, संलग्न सूची में (कॉलम संख्या-6 में अंकितानुसार) सेवानिवृत्ति-तिथि से, सरकारी-सेवा से अपराह सेवानिवृत्त किया जाता है:-

Sr. No.	Name	Posting Place	District	Date of Birth	Date of Retirement
1	2	3	4	5	6
1	DEVKANYA NAMDEO	Office of District Education Officer (Head quarters) Secondary Education, Jhalawar	JHALAWAR	05-05-1962	31-05-2022
2	MANJU GOYAL	Office of Joint Director, School Education, Bharatpur Range, Bharatpur	BHARATPUR	17-09-1962	30-09-2022

उक्त उल्लिखित उप जिला शिक्षा अधिकारी-शा०शिक्षा के सम्बन्ध में प्रमाणित किया जाता है

कि, इनके विरुद्ध आज विनोंक तक-

- 01. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम—16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन / लम्बित नहीं है।
- 02 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम—19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 03 कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन / लम्बित नहीं है।

(काना राम)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रंमाकः:शिविरा–मा/संस्था/बी–1/45001/सेवानिवृत्तियां–प्र.अ/22–23/2022 **ट्रिनांक २१ फरवरी 2022** प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रेषित है :-

सत्यमेव जयते

- पर्युक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संभाग मुख्यालय, भरतपुर / जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा, झालावाड को पाबन्द किया जाता है कि उपरोक्त अधिकारियों से प्रारूप–6 के आशय का शपथ–पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर ही, आगामी कार्यवाही अमल में लावे। इस हेतु आप व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें। यदि स्थानान्तरण या अन्य कारण से सेवानिवृत अधिकारी का वर्तमान पदस्थापन स्थान परिवर्तित हो गया हो तो नवीन पदस्थापन स्थान के अनुरूप ही कार्यवाही सुनिश्चित करावें। इस हेतु आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेंगें।
- 02 सम्बंधित अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग।
- 03. सिस्टम एनालिस्ट कम प्रोग्रामॅर (संयुक्त निदेशक) कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को आदेश की प्रतिसहित, विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
- 04 सम्बंधित संस्था प्रधान/सम्बंधित कार्मिक को पालनार्थ।

05 रक्षित / निजी पत्रावली।

प्रयुंक्त निदेशक (कार्मिक)